राजस्व वाद संख्या :– 65/2020

1. श्रीमती लिछमादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासीनी अमरसर तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान

वादीनी

बनाम

1. गुमानसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. गोपकंवर पत्नी बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. भागसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. सेठसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. सीतूसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. हड़मानसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन हेतु"

उपस्थित :–

1. रघुवीर भांभू एडवोकेट – वास्ते वादी
2. प्रतिवादी संख्या 7– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 09-07-2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एंव प्रविादीगण संख्या 1 ता 6 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 311 तादादी 4.8941 हैक्टेयर, खसरा नं. 366 तादादी 18.4258 हैक्टेयर कुल खसरे 2 दो कुल रकबा 23.3199 हैक्टेयर रोही अमरसर में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने काफी अरसे पूर्व मौखिक विभाजन किया मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी का खसरा नं. 311 व 366 में उतरी ओर की 1/2 हिस्सा पांती व बंटवारा में एंव दक्षिणी ओर की 1/2 हिस्सा प्रतिवदीगण संख्या 1ता 6 के हिस्सा पांती व बंटावारा में आयी व इसी प्रकार आज दिन कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादीनी एंव प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादीनी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन अपसी तौर पर किया हुआ है तथा अलग अलग सिंवें कायम है परन्तू वादगत खेतो कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादीनी को कई प्रकार की कानूनी आपतीयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 6 सिंवों को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीनी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपने हिस्सा पांती भूमि खातेदारी की विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहती है जिसकी वादीनी कानूनी अधिकारी है। वादीनी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों कि खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण 1 ता 6 वादगत खेत की सिंव को काटकर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानियां धमकीयां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादीनी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 15/06/2020 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया वादगत खेतों का जब तक विभाजन नहीं हो जाता है जब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिगत विभाजन करवाये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत कि खातेदारी शामीलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता आदि आदि वाद पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 विधिवत तामील के बावजुद हाजीर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के खिलाफ दिनांक 22/09/2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी इस प्रकार जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 7 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपने जबाव में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। कोई जबावदेही नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी की और से अपने साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.–1 वादीनी स्वयं ने सशपथ बयान किये है व वादीनी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2075–78 जो प्रदर्श– 1 व नक्शा अक्स जो प्रदर्श 2 है पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें वकील वादी ने निवेदन किया की प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 से बखुबी प्रमाणीत है कि वादीनी मुताबिक राजस्व रेकार्ड के 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक है व वादीनी का खेत खसरा नंबर 311 तादादी 4.8941 है. व खसरा नंबर 366 तादादी 18.4258 है. वाके रोही अमरसर में उतरी ओर की 1/2 हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त काफी अरसा पूर्व से चला आ रहा है। वादीनी का **विधिवत विभाजन** बाई मट्स एंव बाउण्डस के आधार पर किया जाकर राजस्व रेकार्ड में **पृथक खातेदारी** दर्ज कर अलग अलग लगान कायम जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 3 पर

Scanned with CamScanner

पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया। वकील वादीनी की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज व वादीनी के बयानों को भली भांती अवलोकन किया जिसे यह प्रमाणीत है कि वादीनी वादगत खेत खसरा संख्या 311 तादादी 4.8941 है , खसरा संख्या 366 तादादी 18.4258 है. वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू की 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक है। वादीनी का वाद इस प्रकार स्वीकार कर किया जाना उचीत है कि वादगत खेत खसरा नं. 311 तादादी 4.8941 व हैक्टेयर, खसरा नं. 366 तादादी 18.4258 हैक्टेयर कुल खसरे 2 दो कुल रकबा 23.3199 हैक्टेयर वाके रोही अमरसर में वादीनी की 1/2 हिस्सा भूमि उतरी ओर की हिस्सा पृथक तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का दक्षिणी ओर का 1/2 हिस्सा मुताबिक हिस्सा एंव कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

आदेश

वादीनी का वाद प्रारंभिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 311 तादादी 4.8941 व हैक्टेयर, खसरा नं. 366 तादादी 18.4258 हैक्टेयर वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 9-07-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर, चूरू

Scanned with CamScanner